Automotive Parts Merchants Association (Regd)
10, Ist Floor, Vardan House, Chabi Ganj,
Kashmere Gate, Delhi -110006
Phone : Office : 011-41054020, 011- 47027269
Email : apma1965@yahoo.in Website : www. apma.in

RAKESH KUMAR
ELECTION COMMISSIONER, APMA
2026-2028

M/s. KUMAR AUTO INDUSTRIES(FOCUS)
565, Gali Behl Sahib, Hamilton Road
Kashmere Gate, Delhi-110006
Mobile No : 9810113855

To : All the members of A.P.M.A.

Circular No : 02
APMA/ELECTION 2026-2028

Date : 03-02-2026

A.P.M.A ELECTION FOR THE TERM - 2026-2028

Respected Members,

In continuation of the earlier circular No.1 dated 27-1-2026, members will please note that the election of the President and 20 members of the Governing Council of APMA for the Term 2026-2028 will take place on MONDAY the 16th March 2026 under rule 9(ii). It is sincerely desired that the members of the Association will participate in full strength to elect their new leader & team for the next term.

While announcing the Election Schedule, I seek co-operation from one and all associated with our organisation to see through fair procedure of election.

ELECTION SCHEDULE

01. ISSUING OF NOMINATION FORMS	FRIDAY the 13th FEBRUARY, 2026 to FRIDAY the 20th FEBRUARY, 2026 2.00 P.M. to 5.00 P.M.
02. LAST DATE OF FILING OF NOMINATION PAPERS	MONDAY the 23th FEBRUARY, 2026 upto 5.00 P.M.
03. SCRUTINY OF NOMINATION PAPERS	TUESDAY the 24th FEBRUARY, 2026 at 3.00 P.M.
04. PRELIMINARY LIST OF VALID CANDIDATES	WEDNESDAY the 25th FEBRUARY, 2026
05. WITHDRAWAL FROM CONTEST	SATURDAY the 28th FEBRUARY, 2026 upto 5.00 P.M.
06. CIRCULATION OF FINAL LIST OF CONTESTING CANDIDATES	MONDAY the 2nd MARCH, 2026
07. ELECTIONS	MONDAY the 16th MARCH, 2026 9.30 A.M. to 5.30 P.M.
08. COUNTING OF VOTES	TUESDAY the 17th MARCH, 2026 from 10.30 A.M. onwards

All the above activities will be performed only on working days unless otherwise notified and these will be performed at APMA OFFICE, No: 10, Ist Floor, Vardan House, Chabi Ganj, Kashmere Gate, Delhi –110006 (Telephone No : 41054020, 47027269).

Contd………P/2

A.P.M.A ELECTION FOR THE TERM - 2026-2028

Needless to say, for all this work help was needed and I have the following members to help me on the Election Council. I need your suggestions and help. Kindly send me your suggestions or ideas which will help me for the smooth and fair working of APMA Election 2026-2028.

S.No.	Name	Mobile No:
01.	**SHRI NEERAJ ARORA** **M/s. Auto Technologies Network**	**9811156135**
02.	**SHRI RAHUL MALHOTRA** **M/s. Deep Enterprises**	**8851453162, 9899224868**
03.	**MOHD NAEEM** **M/s. Faiz Motors**	**9311860118, 7861860118**
04.	**SHRI GAGAN MAKKER** **M/s. Hitesh Automobiles**	**9810016140**
05.	**SHRI RAJESH KHOSLA** **M/s. Khosla Motors**	**9810035752**
06.	**SHRI VIJAY KALIA** **M/s. Kirti Motors**	**9650256266**
07.	**SHRI PRAMOD GUPTA** **M/s. Pramod Auto Parts Pvt. Ltd**	**9810197978**
08.	**SHRI RAJESH DUA** **M/s. R.S. Auto Industries**	**9811211275**
09.	**SHRI R.S. SAHNI** **M/s. Unique Automobiles**	**8010066677**

अपमा चुनाव सत्र 2026-2028 चुनाव प्रक्रिया

1. नामांकन पत्र प्राप्त करना

क. अपमा कार्यालय से नामांकन पत्र **शुक्रवार 13 फरवरी 2026 से शुक्रवार 20 फरवरी 2026 तक दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे के** मध्य जारी होंगे।

ख. लैटर हैड पर अर्थात फर्म के पत्र पर एक फर्म को अधिकतम दो नामांकन पत्र दिये जायेंगे। फार्म शुल्क हेतु 50/– रूपये प्रति फार्म नगद देने होंगे (प्राप्ति रसीद अवश्य लें)

ग. नामांकन पत्र लेने हेतु फर्म की पूरे पते की मोहर साथ लानी अनिवार्य है।

घ. कम से कम एक सत्र (दो वर्ष) तक अपमा में कार्यकारिणी पद पर रह चुके उम्मीदवार ही प्रधान पद के लिए अपना नामांकन पत्र भर सकेंगे।

ड. कम से कम एक सत्र (दो वर्ष) तक अपमा के सदस्य रह चुके उम्मीदवार ही कार्यकारिणी पद हेतु अपना नामांकन पत्र भर सकेंगे।

च. अपमा संविधान की धारा 19VI(a) & (b) के अनुसार उम्मीदवार को प्रधान पद के लिए नामांकन शुल्क 1000/– रूपये एवं कार्यकारिणी पद के लिए नामांकन शुल्क 500/–रूपये अपमा कार्यालय में नगद जमा कराना होगा। ये नामांकन राशि उम्मीदवार की न तो धरोहर (Security) के रूप में जमा रहेगी और न ही उम्मीदवार को किसी भी परिस्थति में वापिस की जाऐगी।

छ. एक फर्म से एक ही उम्मीदवार एक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। प्रधान अथवा कार्यकारिणी के पद हेतु अलग–अलग नामांकन पत्र भरने होंगे। यदि उम्मीदवार ने प्रधान व कार्यकारिणी के दोनों पदों के लिए नामांकन पत्र भरा है तो उसे दोनों में से एक पद से अपना नाम वापस लेना होगा। नाम वापस नहीं लेने पर दोनों पदों के फार्म निरस्त कर नामांकन राशि जब्त कर ली जाऐगी।

ज. अपमा संविधान की धारा 19VII-(d) & (e) का पालन करते हुए उम्मीदवार को "declaration" के रूप में लिखित घोषणा पत्र देना होगा कि वे वर्तमान में अपमा के समानान्तर किसी संस्था में किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी के पद पर आसीन नहीं हैं, और न ही वे अपमा में किसी पद पर रहते हुए, वे अपमा के समानान्तर संस्था में कोई पद ग्रहण करेंगे। इसकी परिपालना न होने पर वे उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे और अपमा में ग्रहण पद से उनको त्यागपत्र देना होगा। (declaration नामांकन पत्र में लिखी हुई है उसे स्वीकार करना होगा)।

झ. उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अनुमोदित करने वाले Proposer and Seconder अलग–अलग फर्मो से नोमीनी होने चाहिए एवं दोनो अपमा के सदस्य होने चाहिए जिन पर संस्था का कोई सदस्यता शुल्क राशि बकाया नहीं होनी चाहिए।

ध्यान दें :– किसी भी फर्म का नोमीनी केवल एक बार ही किसी का अनुमोदन (Propose) एवं एक बार ही (Second) समर्थन कर सकता है।

2. <u>अपमा कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करानें की अन्तिम तिथि</u>

क. सोमवार 23 फरवरी 2026 को सांय 5.00 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराये जा सकेंगे।

ख. अपमा कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित नामांकन पत्र ही स्वीकार्य होंगे।

ग. नामांकन पत्र आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत फर्म के सील बन्द लिफाफे में जमा कराने होंगे।

घ. उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र में कटिंग, ओवरराइटिंग, गलत सूचना देने, तथ्य छिपाये जाने पर नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

ङ. नामांकन पत्र में सूचानाएँ कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होंगी।

च. नामांकन पत्र की एक मूल प्रति ही स्वीकार होगी।

छ. एक फर्म से केवल एक नोमीनी ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, तथा यदि फर्म साधारण सदस्य है तो उसका वर्ष 2025–2026 तक का सदस्यता शुल्क 7–2–2026 तक भुगतान कर दिया हो अथवा वह आजीवन सदस्य हो।

ज. नामांकन पत्र जमा करते समय लिफाफे पर **<u>उम्मीदवार का नाम</u>**, जिस **<u>पद</u>** के लिए चुनाव लड़ रहा है, वह **<u>पद</u>**, अवश्य लिखा होना चाहिए।

झ. नामांकन पत्र जमा करते समय शुल्क प्राप्ति रसीद अवश्य लेनी होगी।

3. <u>अपमा कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच</u>

क मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराहन् 3.00 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू की जायेगी।

ख. जांच के समय उम्मीदवार की सहमति से ही नामांकन पत्र को दिखाया जायेगा।

ग. जांच के समय उम्मीदवार को प्राप्ति रसीद साथ लानी होगी। जांच के समय केवल उम्मीदवार को ही आने की अनुमति होगी।

4. <u>नामांकन पत्रों की वापिसी</u>

क. उम्मीदवार शनिवार दिनांक 28 फरवरी 2026 को सांय 5.00 बजे तक चुनाव मैदान से अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापिसी के लिए उम्मीदवार को अपनी फर्म के लैटर हैड पर फर्म की मोहर सहित हस्ताक्षर कर लिखित रूप में वापिसी हेतु पत्र देना होगा।

ख. यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम चुनाव मैदान से वापिस लेता है अथवा उसका नामांकन पत्र किसी त्रुटिवश जांच में निरस्त हो जाता है, तो उम्मीदवार की नामांकन राशि वापिस नहीं होगी।

ग. नामांकन पत्रों की जॉच का अन्तिम निर्णय चुनाव आयुक्त का होगा एवं सर्वमान्य होगा।

(राकेश कुमार)
अपमा चुनाव आयुक्त
सत्र 2026–2028